

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज.)

क्रमांक: स्था./2018/209

दिनांक: 02/08/2018

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(5)वित्त/नियम 2005 दिनांक 02.09.2016, कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.07.2017 द्वारा किए गए संशोधनों के फलस्वरूप श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)27/14/6301 दिनांक 26.08.2017 तथा पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)23/85/8213 दिनांक 09.11.2017 द्वारा धौलपुर न्यायक्षेत्र के लिये जारी पदों के पुर्ननिर्धारण के आदेश में स्वीकृत रीडर ग्रेड-प्रथम के अभिनिर्धारित पदों पर उपरोक्त आदेशों/अधिसूचना वित्त विभाग की स्वीकृति की पालना में धौलपुर न्यायक्षेत्र में कार्यरत/सेवानिवृत्त/सेवा के दौरान मूलक कर्मचारीगण को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से/अवधि तक दिनांक 01.04.2003 के पश्चात समय-समय पर जारी किए गए पदोन्नति आदेशों को प्रभावशून्य/संशोधित/अतिलिपित करते हुए वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंधान के आधार पर दिनांक 01.04.2003 से वेतन श्रृंखला 5500-175-9000 (11) व दिनांक 01.09.2006 से पी.बी.-2 रनिंग पे बैंड 9300-34800 ग्रेड-पे 3600/- तथा दिनांक 01.07.2013 से पी.बी.-2 रनिंग पे-बैंड 9300-34800 ग्रेड-पे 4200/- एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे-मैट्रिक्स में लेवल एल-11 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदोन्नति की तिथि व अवधि	विशेष विवरण
1.	श्री रामस्वरूप गुप्ता	01.04.03 से 27.02.04 तक	सेवानिवृत्ति तक पुनः नामित
2.	श्री जिनेन्द्र कुमार जैन	01.04.03 से 27.02.04 तक	सेवानिवृत्ति तक पुनः नामित
3.	श्री ओमप्रकाश रावत	01.04.03 से 17.11.06 तक	पदोन्नति तक पुनः नामित
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	01.04.03 से 07.04.13 तक	पदोन्नति तक पुनः नामित
5.	श्री हजारीलाल शर्मा	01.04.03 से 31.07.11 तक	सेवानिवृत्ति तक पुनः नामित
6.	श्री खालिद अली	01.04.03 से 16.07.13 तक	पदोन्नति तक पुनः नामित
7.	श्री विष्णोराम मित्तल	28.02.04 से 30.11.09 तक	सेवानिवृत्ति तक
8.	श्री सुरेशचंद शर्मा	28.02.04 से 07.10.06 तक	निधन होने तक
9.	श्री विजय कुमार हंस	08.10.06 से 29.04.14 तक	पदोन्नति होने तक
10.	श्री रतनलाल शर्मा	18.11.06 से 30.04.07 तक	सेवानिवृत्ति होने तक
11.	श्री जुगलकिशोर शर्मा	01.05.07 से 19.12.17 तक	पदोन्नति होने तक
12.	श्री आदर्श कुमार अग्रवाल	01.08.11 से 19.12.17 तक	पदोन्नति होने तक
13.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	01.12.09 से 31.12.11 तक	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तक
14.	श्री गभीर सिंह चौहान	01.01.12 से 19.12.17 तक	पदोन्नति होने तक
15.	श्री महेश दत्त शर्मा	08.04.13 से 19.12.17 तक	पदोन्नति होने तक
16.	श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी	17.07.13 से 30.04.18 तक	पदोन्नति होने तक
17.	श्री नदीकिशोर शर्मा	01.05.14 से 31.07.18 तक	पदोन्नति होने तक
18.	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	20.12.17 से लगातार	--
19.	श्री रतनपाल सिंह	20.12.17 से लगातार	--
20.	श्री रघुवल्लभ वर्मा	20.12.17 से लगातार	--
21.	श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	20.12.17 से लगातार	--
22.	श्री नरेश कुमार गौयल	01.05.18 से लगातार	--
23.	श्री हेमचंद गुप्ता	01.08.18 से लगातार	--

- नोट:-
- उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुरस्कार में किया जावे तथा नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही की जावे।
  - सेवानिवृत्त/निधन हो चुके कर्मचारीगण के एरियर की राशि का भुगतान नगद रूप में उनके अंतिम पदस्थापन वाले न्यायालय से किया जावेगा।
  - वर्तमान में कार्यरत/पदस्थपित कर्मचारीगण को पदोन्नति दिनांक से 02.09.2016 तक की एरियर की राशि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 के अनुसार उनके जी.पी.एफ खाते में जमा की जावेगी तथा दिनांक 01.01.2014 के पश्चात नवीन पेशान योजना के तहत आने वाले कर्मचारीगण को उनकी एरियर की राशि का भुगतान नियमानुसार एन.पी.एस की कटौती करते हुए नगद रूप में उनके पदस्थापन वाले न्यायालय में किया जावेगा।
  - उक्त समस्त पदोन्नतियां शेट्टी आयोग की सिकारिश की अनुपालना में दिनांक 01.04.2003

